

बिहार सरकार कार्यालय नगर पंचायत, रफीगंज (औरंगाबाद)

स्वच्छता साथी के चयन हेतु सूचना सं०- 03/2024-25

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4081, दिनांक- 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी चयन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

स्वच्छता साथी कौन होंगे :-

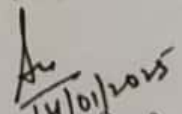
1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परंतु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम-से-कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी को आवाज साफ हो, ताकि वे अच्छे से **Communicate** कर सकें।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप में **Waste Picker, Citizen Leader, SHG Member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors** एवं **NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs Youth, Community Based Organizations, RWAs** से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
7. नगर पंचायत स्तर पर कुल संख्या- 05 स्वच्छता साथी।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :-

1. कार्य अवधि पाँच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रु० 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय $300 \times 20 = 6000.00$ रु० मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को **Contractual Basis** पर एक वर्ष के लिए **Hire** किया जाएगा, जिसकी अवधि अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए **Engage** किया जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छता साथी को **Monitor** करने की जिम्मेदारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
12. इस विज्ञापन के शर्तों को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्णतः संशोधित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोट :-

1. यह किसी भी प्रकार से **Permanent Position** नहीं है। अतः किसी भी तरह का **Claim** मान्य नहीं होगा। स्वच्छता साथी नगर निकाय के कर्म नहीं माने जायेंगे एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का दैनिक/संवैदा/नियमित की नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
2. विशेष जानकारी नगर पंचायत, रफीगंज से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।
3. आवेदन पत्र दिए गए प्रपत्र में नगर पंचायत, रफीगंज कार्यालय में 28 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा।


14/01/2025
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रफीगंज।